# पोचमपल्ली हथकरघा क्लस्टर को मिला आईपीआर संरक्षण

पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले का एक छोटा-सा शहर है, एक हथकरघा क्लस्टर जो शताब्दियों से अपनी अनूठी इकट डिज़ाइनों के लिए जाना जाता है। उसमें लगभग 5000 बुनकर हैं जो पारंपरिक इकट डिज़ाइन को हथकरघे की सहायता से बुनते हैं । इस अनूठेपन को व्यावसायिक मूल्य में तबदील करने के लिए वस्त्र समिति ने अपने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर पहल की शुरुआत की है ताकि स्थानीय संस्थानों को सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। ''पोचमपल्ली हथकरघा बुनकर को. ऑप. सोसायटी लि.'' सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत सोसायटी , और ''पोचमपल्ली हथकरघा बंधेज रेशम साड़ी विनिर्माता संस्थान'', कानून के अंतर्गत स्थापित एक संस्थान ऐसे दो निकाय हैं जिन पर पोचमपल्ली इकट के उत्पादन और विपणन का दायित्व है । हथकरघा व वस्त्र निदेशालय, आंध्र प्रदेश सरकार, बुनकर सेवा केंद्र(डब्ल्युएससी), एपीटीडीसी, नाबार्ड जीआई पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल किये गये हैं । जीआई पंजीकरण से पहले एपीटीडीसी की सेवाएँ ली गयीं और शामिल खर्चों को पूरा करने के लिए ड्रिप (DRIP) के अंतर्गत नाबार्ड ने निधियाँ प्राप्त करायी हैं ।

प्रसिद्ध पोचमपल्ली इकट बंधेज साड़ी के बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण आवेदन करने के एक वर्ष से भी अधिक अवधि के बाद मिला है । यह पहली भारतीय पारंपारिक हस्तकला है जिसे भौगोलिक ब्रांडिंग की प्रतिष्ठा मिली है । इस डिज़ाइन को भौगोलिक उपदर्शनों की श्रेणी के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हुआ है । इसके माध्यम से हथकरघा साडी की अनुचित प्रतिस्पर्धा और नकल से बचाया जा सकेगा । आंध्र प्रदेश के एक लाख बुनकरों को पारंपरिक बंधेज कपड़े के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के मिलने से लाभ होने का अनुमान है, क्योंकि ऐसे कपड़ों की मांग ऐसे सस्ते कपड़ों के कारण घट गयी है जो उनकी डिज़ाइनों की नकल करते हैं ।

हैदराबाद में दिनांक 18 दिसंबर, 2004 को ''भारत में भौगोलिक प्रदर्शन'' पर कार्यशाला हुई । इस कार्यशाला का आयोजन आंध्र प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास व संवर्धन केंद्र (एपीटीडीसी), भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री और वस्त्र समिति द्वारा संयुक्त रुप से किया गया। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में श्री एस.चन्द्रशेखरन, महानियंत्रक, पेटेण्ट डिज़ाइन्स टीएम एवं जीआई के रजिस्ट्रार, श्री टी. सी.जैम्स, उपसचिव, डीआईपीपी, नई दिल्ली, श्री वी रवि, टीएम के संयुक्त रजिस्ट्रार, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, मुंबई और श्री नटराजन, सहायक रजिस्ट्रार, जीआई रजिस्ट्री, चेन्नई शामिल है ।

कार्यशाला का उद्‌घाटन करते हुए श्री टी. सत्यनारायण राव, हथकरघा व वस्त्र निदेशक, आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि शीर्षस्थ पदाधिकारियों में भी इस बात की जागरुकता पैदा करने की जरुरत थी कि यह अधिनियम किस बारे में है और ऐसी जीआई

वस्तुओं का संरक्षण करने के हित में राज्य कैसे हस्ताक्षेप कर सकते हैं । आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली की तरह प्रत्येक क्षेत्र के बहुत सारे अनूठे उत्पाद हैं । उन्होंने खेद व्यक्त किया कि लोग तभी जागते हैं जब कोई दूसरा उनके अधिकारों का अतिक्रमण करता है जैसा कि बासमती चावल के मामले में हुआ था। उन्होंने उत्पादों के लिए भौगोलिक उपदर्शनों को आवेदित करने का महत्व भी समझाया ।

श्री डी पी जाडेजा, निदेशक/समन्वयक (सीडीपी) वस्त्र समिति, मुंबई ने सहभागियों को संबोधित करते हुए कहा, ''मुझे इस दिन आप सबके साथ यहाँ उपस्थित रहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है जबकि पोचमपल्ली का विलक्षण हथकरघा उत्पाद अपनी यथोचित मान्यता के अंततः प्राप्त कर ही लेगा और इसके लिए मैं क्लस्टर के सभी सदस्यों और साझेदारों को बधाई देता हूँ । उन्होंने यह भी कहा '' इस प्रकार का जागरुकता कार्यक्रम विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के लिए तैयार होने में बहुत सहायक होगा।''

''जीआई प्रणाली द्वारा संरक्षण, उत्पादन और व्यावसायिक रीतियों की कायापलट करनेवाला पहला कदम है जो पोचमपल्ली क्लस्टर को मजबूत और विकासशील बनायेगा । पोचमपल्ली के बुनकरों की नई पीढ़ी इस कला के प्रति सुग्राही है और यहाँ आधुनिक वस्त्रों का निर्यात बाज़ार विकसित होना कोई बड़ी बात नहीं है । पोचमपल्ली जैसे क्लस्टर में जीआई नियंत्रण, संभावित अवसरों को वास्तविकताओं में बदलने में सहायक हो सकता है ।''

श्री के सुबोध कुमार, परामर्शदाता (प्रौद्योगिकी) ने कहा कि उक्त प्रसिद्ध हथकरघा डिजाइनों को जब दो दिन पूर्व भौगोलिक उपदर्शनों (जीआई) श्रेणी के अंतर्गत बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार दिया गया है और इस संबंध में हम प्राधिकारियों से कार्यालय पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

जीआई रजिस्ट्री के पदाधिकारी के अनुसार पोचमपल्ली वस्त्र क्लस्टर को शीघ्र ही सर्टिफिकेशन प्राप्त करेगा । जी आई रजिस्ट्री के पदाधिकारियों का कहना यह है कि पूरी प्रक्रिया होने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है । पोचमपल्ली इकट के पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र दिनांक 15 दिसंबर,2003 को जीआई सर्टिफिकेशन के लिए 20 आवेदन प्राप्त हुये हैं । यह सर्टिफिकेशन राज्य क्षेत्र में वस्तु के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है, निर्यातों को बढ़ाने के लिए भारतीय भौगोलिक उपदर्शनों को वैध संरक्षण प्रदान करता है और पंजीकृत जीआई सर्टिफिकेशन के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकता है ।

''यह राष्ट्रनिर्माण की मुहिम है । यह कानून 15 सितंबर, 2003 को कार्यान्वित किया गया । यह कानून कृषि खाद्यों, प्राकृतिक उत्पादों, खाद्य सामग्रियों, औद्योगिक डिज़ाइनों

और हथकरघा को शामिल करते हुए काफी उदार है ''। सहायक रजिस्ट्रार श्री वी नटराजन ने कार्यशाला में कहा, हालाँकि पूरे देश के लिए भारत में केवल चेन्नई में एकमात्र भौगोलिक उपर्शन का कार्यालय है, अतः रजिस्ट्री की पूरी प्रकिया को ऑनलाइन करने पर विचार किया जा रहा है ताकि दूर से दूर स्थित भारत के लोग और समुदाय उस तक पहुँच सके ।

भौगोलिक उपदर्शनों के अंतर्गत कोई उत्पाद और उससे संबंधित विशेषताएं किसी विशेष क्षेत्र से जोड़ी जाती हैं ; इस मामले में इकट कपड़े को पोचमपल्ली से जोड़ा गया है । जीआई गैर-भौगोलिक नाम भी हो सकता है जैसे बासमती चावल । उत्पादक अपना समय और धन ऐसे उत्पादों को विकसित करने में लगाते हैं जो उनके शासन-क्षेत्र में अनूठे हों । इसी कारण उनका गलत अनुकरण और अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाव करना चाहिए । इसके साथ ही उपभोक्ताओं को भी उत्पाद से संबंधित जीआई के दुरुपयोग से संरक्षित किया जाना चाहिए । हालाँकि जीआई का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, पर वह अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए उत्पाद को वैध संरक्षण प्रदान करता है । जीआई का पंजीकरण 10 वर्षों तक वैध रहता है जिसके बाद उसका नवीनकीरण किया जा सकता है ।

डब्ल्युटीओ का सदस्य देश होने के नाते और ट्रिप्स समझौते पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरुप भारतीय संसद ने वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999 पारित किया है । इस अधिनियिम में वस्तुओं से संबंधित जीआई के पंजीकरण और बेहतर संरक्षण का प्रावधान है । जहाँ इस अधिनियिम में वैयक्तिक स्वामित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है, व्यक्तियों या उत्पादकों का संघ अथवा संबंधित समूहों उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाला कोई संगठन या प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। जी आई बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के समान न होकर सामुदायिक संपदाएँ हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइनें, स्वीकृत सर्किटों की ले आउट डिजाइनें और गोपनीय सूचनाओं का संरक्षण अन्य प्रकार के आईपीआर हैं ।

फ्रांस के शैम्पेन जिले से शैम्पेन, स्कॉटलैंड से स्कॉच विस्की; पोचमपल्ली से पोचमपल्ली इकटट। सोलापुर और सेलम स्थित पावरलूम क्लस्टर पोचमपल्ली क्लस्टर के दिखाये रास्ते पर चल रहे हैं ।

**<u>ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :</u>**

पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के निकट स्थित है जो आधुनिक हथकरघा उद्योग के सबसे अधिक उभरते हुए केंद्रों में से शायद एक है । यह व्यापक पैमाने पर इकट साड़ियों का उत्पादन करता है । वस्तुतः पोचमपल्ली के बुनकर पद्मासली और देवांग समुदायों के हिंदू हैं जो लंबे समय से वहाँ निवास कर रहे हैं और इस प्रकार उन्होंने स्थानीय भाषा और सामाजिक मान्यताओं को अपना लिया है । ये बुनकर ज्यामितीय

डिज़ाइनयुक्त इकट वस्त्रों को उत्पादित  करते हैं और हाल ही में इन्होंने सभी भारतीय शैलियों का प्रयोग करना शुरु कर दिया है ।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि इकट की तकनीक आंध्र प्रदेश के ही एक अन्य नगर चिरला से पोचमपल्ली में लायी गयी थी । यह बात कुछ पीढ़ियों पूर्व की है, शायद वर्ष 1915 के पुराने समय की जबकि चिरला की कर्मशालाओं में इकट साड़ियों,पगड़ियों आदि की बुनाई होती थी ऐसा कहा जाता है ।

भारत और विदेशों में पोचमपल्ली साड़ियों को बेहतर बाज़ार मिलने के कारणों में से एक यह है कि बुनकर महंगे वनस्पति रंग-द्रव्यों का उपयोग करने के बजाय आधुनिक सिंथेटिक रंगों का उपयोग कर रहे हैं जिससे न केवल उत्पादन लागत कम होती है बल्कि जटिल डिज़ाइनों को कपड़ों पर उतारने में अधिक रचनात्मकता लाने का भी अवसर मिला है ।

वर्ष 1960 के प्रारंभ से पोचमपल्ली के इकट बुनकर गुजरात की पावलू डिजाइनों के प्रभाव में आये जिसके कई कारण हो सकते हैं ।  बुनकरों का स्थान परिवर्तन भी उनमें से एक हो सकता है।   फिर कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जिनका मत है कि स्थान-परिवर्तन से ज्यादा प्रिंट मीडिया का प्रभाव हो सकता है, जो प्रमुख कारणों में से एक हो सकता  है। ‘‘शायद बुनकरों ने गुजराती डिज़ाइनों को किसी पत्रिका में देखा होगा या फिर वास्तव में पटोला कपड़ों का कोई नमूना देख होगा।  यह भी संभव है कि बुनकरों को ये डिज़ाइनें किसी हथकरघा प्रदर्शनी में देखने को मिली होंगी और उन्होंने उस डिज़ाइन की नकल कर डाली‘‘ ऐसा कुछ विशेषज्ञ कहते हैं ।

## <u>ये किस प्रकार बुने जाते हैं</u>

ताने और बाने के लिए धागा चौथाई गोलाकार में वार्पिंग ब्लॉक पर खींचकर फैलाया जाता है ।  उनमें एक मजबूत पेग होता है ।  यह लकड़ी के पट्टे से बने गोलाकार हिस्से/सेगमेंट से जुड़ा होता है जिसमें नियमित अंतराल पर लगभग 35 पेग पास-पास पाये जाते हैं ।  धागे-ताना व बाना दोनों -उस पर रखकर खींची हुई स्थिति में रखे जाते हैं और अलग अलग सेंटों में विभाजित किये जाते हैं ।  बाद में डिज़ाइनें सेटों में बांधी जाती हैं जबकि धागा वार्पिग ब्लॉक पर सधा रहता है ।

रंगाई के लिए धागों को निकाल लिया जाता है लेकिन जब वे सूखे होते हैं, उन्हें फिर से खींची हुई स्थिति में रंगने के लिए फिर से बांधा जाता है और उनका कुछ भाग खुला रहता है । यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई बार दुहरायी जा सकती है । लाल और कत्थई रंग के, सफेद से काले तक के अनेक शेड एलिज़रिन रंग-द्रव्यों का इस्तेमाल करके प्राप्त किये जाते हैं ।  इसके लिए कपड़े को पहले एरंडी के तेल और क्षरीय अर्थ के मिश्रण में डुबाया जाता है, फिर सुखाया और फिर डुबाया जाता है, फिर एलिज़रिन पेस्ट में डुबाया जाता है और

अंततः उबाला जाता है जब तक कि वह लाल न हो जाय। कत्थई शेडों के लिए लौह के सिलन्टर्स को रंग में मिलाया जाता है। लौह सिलन्टरों को सिरके में घोलने से काला रंग तैयार होता है ।

आंध्र प्रदेश के आधुनिक इकट, जो सादे और अधिकतम तीन रंगों को उपयोग में लाते हैं और शुद्ध ज्यामितीय डिज़ाइनों से युक्त होते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले और भलीभॉति बिकनेवाले होते हैं, पर कुछ विशेषज्ञों का सोचना है कि वे कभी भी अन्य इकटों, जैसे उड़ीसा या गुजरात के इकटों के तकनीकी पूर्णता नहीं कर पाते। उनका खयाल यह है कि आंध्र प्रदेश के बुनकर सामान्यतः उन्हें समय पर सामग्री बचाने के उद्देश्य से बनाते हैं और इसमें वे गुणवत्ता के साथ समझौता कर बैठते हैं ।